न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जैसा पुत्र स्व. कानाजी जाति कुम्हार, निवासी सरतरा तहसील व जिला सिरोही		1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सुरेश कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/12/2022

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2012(पुराना नम्बर 16/2005) बउनवान जैसाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाके सरहद मौजा सरतरा तहसील सिरोही के खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घोषित कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर माननीय न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वाद को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त वाद रिमाण्ड होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान के न्यायालय के निर्णय अनुसार तनकियों का सही रूप से विवेचन नहीं किया गया। ग्राम सरतरा तहसील सिरोही के खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

संख्या 136 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का कब्जा अपीलाण्ट का रहा है। अपीलाण्ट से पूर्व अपीलाण्ट के पिता कानाजी व दादाजी रूपा जी का कब्जा काश्त था जो खसरा गिरदावरी 2013 में भी दर्ज था। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत वादी व अन्य गवाहान के साक्ष्य पर कोई विवेचन सही ढंग से नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है।

अधीनस्थ न्यायायलय ने इस बात का कतई गौर नहीं किया है कि अपीलाण्ट का वादग्रस्त कृषि भूमि का लगातार कब्जा काश्त होने से 91 की कार्यवाही की जाती रहीं है और वादी द्वारा जुर्माना राशि भरता रहा है। उक्त तथ्यों का व दस्तावेजी साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का निर्णय भी विधि अनुसार नहीं किया गया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम सरतरा तहसील सिरोही के खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 136 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा वाके सरहद ग्राम सरतरा तहसील सिरोही के खसरा संख्या 105 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 136 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घोषित कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मुख्य बिन्दु यह रेखाकिंत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पुराने कब्जे काश्त की स्पष्ट व्याख्या किए बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दु के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो।

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसी प्रकार हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या / अपील / डिक्री / टीए / 5176 / 2002 / कोटा / (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील / टीए / गंगानगर / 5160 / 2004 (रामी बनाम विद्यादेवी), अपील / टीए / गंगानगर / 5161 / 2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील / टीए / कोटा / 2780 / 2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08. 2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 99 / 2012(पुराना नम्बर 16 / 2005) बउनवान जैसाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली